न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या– 154 / 10 / दावा

1. भैरू लाल आयु 67 साल
2. मोहन लाल आयु 64 साल
3. मदनलाल आयु 58 साल

पुत्रगण श्री नारायण

समस्त जाति नाई (सैन) निवासीगण ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. पृथ्वी सिंह
2. राजेन्द्र सिंह

पुत्रगण स्व. नारूराम

3. सुशीला पत्नी स्व. नारूराम

समस्त जाति दरोगा निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4. गौरी शंकर
5. सोहन लाल

पुत्रगण स्व. रामदेव

6. शांति देवी पत्नी स्व. रामदेव
7. छीतर मल पुत्र श्री बिड़दी चन्द
8. शांति देवी पत्नी स्व. बिड़दी चन्द
   जाति ब्राह्मण निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. कमला देवी पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री राधेश्याम सैन जाति नाई नि0 रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. विमला पुत्री नारायण पत्नी श्री चांदमल सैन जाति नाई नि. मंढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक12.12.2015

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि की विवादित भूमियां पु राने खसरा नं. 913 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित रही है जिसके नये खसरा नंबर 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.25 है0, 1440 रकबा 1.35 है0, 1441 रकबा 3.01 है0 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 राजस्व रिकार्ड में कायम किये गये है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 10 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

गणेश

नारायण–पुत्र(फौत)　　गंगादेवी–पत्नी(फौत)　　जमनीदेवी–पुत्री(फौत)

सुखदेव पुत्र झूंथाराम व जमनी

भैरूलाल	मोहनलाल	मदनलाल	कमला	बिमला	मूली
पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री	पत्नी–फौत

वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमियों में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 का संयुक्त रूप से 1/8 हक हिस्सा जन्मजात रहा है तथा सुखदेव पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/8 का खातेदार जो दिनांक 28.04.1987 को ही नाऔलाद फौत हो गया। उक्त सुखदेव पुत्र झूंथाराम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 के पिता नारायण की बहस जमनी, नारायण के बहनोई झूंथाराम का लड़का था तथा उक्त सुखदेव को उक्त 1/8 हिस्से की भूमियां जमनी की विरासत के आधार पर ही प्राप्त हुई थी तथा सुखदेव पुत्र झूंथाराम नाऔलाद फौत हो जाने के बाद उक्त सुखदेव पुत्र झूंथाराम के हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 ही प्रथम श्रेणी के वारिस है तथा इनकी उक्त काश्त भूमियों को वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु वर्तमान में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 8 के मन में बेईमानी पैदा हो गई। ये उक्त सुखदेव के हिस्से 1/8 की खातेदारी भूमि हड़पने की फिराक में है जिनका इनको कोई हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 27.07.2010 को प्रतिवादी सं. 1 ता 8 ने वादीगण को धमकी दी कि ये जमीन तुम्हारे नाम नहीं है। इस पर हम तुम्हें बेदखल कर कब्जा जमा लेंगे। तब संपूर्ण राजस्व रिकार्ड की नकलें निकलवाकर माननीय न्यायालय में यह दावा पेश किया जाना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 अपने उक्त कुउद्देश्य में सफल हो जायेंगे तो वादीगण के वैध हक व अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई बाद में कानून द्वारा कतई संभव नहीं है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 संयुक्त रूप से उक्त सुखदेव पुत्र झूंथाराम के 1/8 हक व हिस्से की भूमि का काबिज खातेदार/काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है तदहेतु वाद नियोजन करना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 27.07.2010 को वादीगण को वादग्रस्त भूमियों से बेदखल कर बलात् कब्जा करने की एलानियां धमकी देने पर उत्पन्न हुआ है जो क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। विवादित संपदा ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है इसलिए माननीय न्यायलय को वाद सुनवाई का समुचित क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 के हित समान है परन्तु दावा करते समय साथ नहीं होने से इनको प्रतिवादी के रूप में पक्षकार औपचारिक रूप से बनाया गयाा है। उपरोक्त संपदा के खातेदार नारूराम व रामदेव फौत हो चुके है जिनके वारिसान को प्रतिवादीगण सं. 1 ता 6 के रूप में आवश्यक पक्षकार बनाये गये है। प्रतिवादी सं. 11 को भूमि धारक होने से औपचारिक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की धारा एक

में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमियों पुराने खसरा नं. 913 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.25 है0, 1440 रकबा 1.35 है0, 1441 रकबा 3.01 है0 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 वाके ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में सुखदेव पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/8 की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 को संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वे वाद पत्र की धारा एक में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमियों, पुराने खसरा नं. 913 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा जिसके नये खसरा नं. 1438 ता 1441 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 वाके ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में से पेड़ पौधे काटने, मौका स्थिति में परिवर्तन करने, हस्तांतरण करने, राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने आदि किसी भी रूप में दखलंदाजी करने से मय नौकर, एजेंट बाज रहे। वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी, वारिस प्रमाण पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतियां पेश की गई।

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 11 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में वादी भैरूलाल के साक्ष्य शपथपत्र पीडब्ल्यू–1 पेश किया एवं दस्तावेज एक्जी. करवाये तथा साक्ष्य के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–2 सोना राम पुत्रश्री गोपीराम व पीडब्ल्यू–3 पदमसिंह पुत्र बच्चनसिंह के ाक्ष्य शपथ पत्र पेश किये गये।

3. वादीगण के योग्य अभिभाषकगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजियात के हिस्से 1/8 का खातेदार सुखदेव पुत्र झूंथाराम नाऔलाद फौत हो चुका है तथा उसके एकमात्र विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 है तथा वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 व 10 उक्त भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत, करड़ द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 25.01.07 के अनुसार वादीगण को वारिस माना है। अतः विवादित आराजियात खसरा नंबर 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.25 है0, 1440 रकबा 1.35 है0, 1441 रकबा 3.01 है0 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 वाके ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में सुखदेव पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/8 की भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 को संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें।

4. हमने वादीगण के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 113 के खसरा नं. 1438 ता 1441 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 में से 1/8 की खातेदारी सुखदेव पुत्र झूंथाराम के नाम से है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान के नाम से है। खातेदार सुखदेव पुत्र झूंथाराम की नाऔलाद मृत्यु दिनांक 28.04.1987 को चुकी है तथा ग्राम पंचायत, करड़ द्वारा जारी वारिस प्रमाण

पत्र के आधार पर वादीगण एवं वाद में अंकित प्रतिवादी सं. 9 व 10 उनके विधिक वारिस साबित है। वाद के समर्थन में गवाह सोनाराम पुत्रश्री गोपीराम उम्र 62 वर्ष व पदमसिंह पुत्रश्री बच्चनसिंह उम्र 70 वर्ष ने अपने बयान शपथ पत्र में कथन किया है कि मृतक सुखदेव पुत्र झूंथाराम नाऔलाद फौत हो गया है इनके वारिसान नारायण के पुत्र पुत्रियां है। इनके अलावा कोई विधिक वारिसान नहीं है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में मृतक सुखदेव पुत्र झूंथाराम के विधिक वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 है। अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 व 10 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 8 डिकी किया जाता है तथा विवादित आराजियात खसरा नंबर 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.25 है0, 1440 रकबा 1.35 है0, 1441 रकबा 3.01 है0 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 वाके ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में सुखदेव पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/8 का नाम हजफ किया जाता है एवं उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 को संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। पर्चा डिकी जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 12.12.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या— 154 / 10 / दावा

1. भैरू लाल आयु 67 साल ⎫ पुत्रगण श्री नारायण
2. मोहन लाल आयु 64 साल ⎬
3. मदनलाल आयु 58 साल ⎭

समस्त जाति नाई (सैन) निवासीगण ग्राम करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. पृथ्वी सिंह ⎫ पुत्रगण स्व. नारूराम
2. राजेन्द्र सिंह ⎭
3. सुशीला पत्नी स्व. नारूराम

समस्त जाति दरोगा निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

4. गौरी शंकर ⎫ पुत्रगण स्व. रामदेव
5. सोहन लाल ⎭
6. शांति देवी पत्नी स्व. रामदेव
7. छीतर मल पुत्र श्री बिड़दी चन्द
8. शांति देवी पत्नी स्व. बिड़दी चन्द
   जाति ब्राहमण निवासीगण करड़ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
9. कमला देवी पुत्री श्री नारायण पत्नी श्री राधेश्याम सैन जाति नाई नि0 रामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
10. विमला पुत्री नारायण पत्नी श्री चांदमल सैन जाति नाई नि. मंढा (सुरेरा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
11. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 12.12.2015

(जगदीश प्रसाद गौड़)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, ज़ाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आरएएस

भैरूलाल आदि बनाम पृथ्वी सिंह आदि

<u>दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती</u>

मुकदमा नं0 154/दावा/2010 निर्णय दिनांक 12.12.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आरएएस बहाजरी श्री शिवपालसिंह वकील मिनजानिब मुददई—— मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 9 व 10 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 8 डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजियात खसरा नंबर 1438 रकबा 0.01 है0, 1439 रकबा 1.25 है0, 1440 रकबा 1.35 है0, 1441 रकबा 3.01 है0 किता 4 कुल रकबा 5.62 है0 वाके ग्राम करड तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में सुखदेव पुत्र झूंथाराम हिस्सा 1/8 का नाम हजफ किया जाता है एवं उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 9 व 10 को संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर को तदनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज .... मुबलिग....... बाबत .... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 दिसम्बर, 2015 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी ओहदा दांतारामगढ़

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	6	00			
मीजान	11	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।